SEMESTER - 2

CC- 9

Contemporary India

- Unit - IV - Gender and politics in Contemporary India

  PART-3

Vetted by :

प्रो० (डॉ०) सुरेंद्र कुमार

विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 09835463960

Presented by:

शिप्रा नंदन

अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 08604171178

nandan.shiprabhu@gmail.com

दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम,1961

(Dowry Prohibition Act ,1961)

भारतीय समाज में कई प्रकार की विविधताएं हैं ,कई बार जिन विविधताओं से समाज विकसित होता है ठीक उसी प्रकार कई प्रकार की विविधता /सामाजिक कुरीति के कारण सामाजिक विकास अवरुद्ध भी होता है और ऐसी कई कुरीतियां हैं,जिनके कारण देश व समाज की आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं की स्थिति असंतोषजनक हो जाती है,यथा-सती प्रथा,विधवाओं की स्थिति,वैश्यावृति,बाल-विवाह और दहेज़ आदि। वर्त्तमान समय में अन्य सामाजिक कुरीतियों/समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सका है या उसमे कमी आई है,परन्तु 'दहेज़-प्रथा' निरंतर अपने निम्न रूप से उग्र रूप धारण करती जा रही है,जिसके कारण महिलाओं का सामाजिक,राजनीतिक,आर्थिक व अन्य विकास अवरुद्ध हो रहा है । "दहेज़" शब्द अरबी भाषा के जहेज़ (jahez)से लिया गया है,जिसका मूल अर्थ 'स्त्रीधन' होता है। इस स्त्रीधन की व्याख्या अनेक रूपों में की गई है। प्राचीन भारत में स्त्रीधन,अविवाहित पुत्री का धन होता था,जो विवाह के समय पिता अपनी पुत्री को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप उपहार स्वरुप प्रदान करता था। यह मुख्य रूप से विवाह से जुडी एक परम्परा है,जिसे लगभग प्रत्येक धर्मों में देखा जा सकता है। अगर हम हिन्दू विवाह व्यवस्था की बात करें तो 'मनुस्मृति' के अंतर्गत मुख्य रूप से आठ प्रकार के हिन्दू विवाह की प्रस्तुति की गई है,जो निम्न है :-

१)ब्रह्मो विवाह : इसके अंतर्गत कहा गया है कि जिसने वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया हो तथा जो कन्या के योग्य,सुशील और गुणवान हो,ऐसे वर को स्वयं आमंत्रित करके वस्त्राभूषण आदि अर्पित करके

वेदोक्त विधि से प्रसन्नतापूर्वक कन्या को सौंपना ब्रह्म विवाह कहलाता है। यह विवाह सर्वोत्तम विवाह माना गया है। यह आज कल के arrange मैरिज के समान बताया गया है,जिसमे माता पिता अपनी लड़की के लिए सुयोग्य वर ढूंढ कर उसकी शादी करते है।

२)दैव विवाह : इसके अंतर्गत यज्ञादि में उपस्थित वेदमंत्रों का उच्चारण करने वाले विद्वानों का वरण करके तथा अपनी कन्या को वस्त्राभूषण से अलंकृत करके कन्या का पिता जब उन विद्वानों को सौंपना दैव विवाह कहलाता था।

३)आर्ष विवाह : एक गाय अथवा एक जोड़ी बैल कन्यापक्ष द्वारा वरपक्ष से लेकर धर्मपूर्वक जो कन्यादान किया जाता है उसे आर्ष विवाह कहते हैं जो कि पूर्व के दोनों विवाहों से भिन्न है। अर्थात इसमें वर पक्ष से कुछ लेने के पश्चात् कन्या दान कि परम्परा है। वर्त्तमान समय में कुछ जनजातियों में यह प्रथा देखी जा सकती है, जो खासकर मातृप्रधान संस्कृति अथवा पुरुषों के सामानांतर महिलाओं की कम संख्या की ओर इशारा करती है।

४)प्रजापत्य विवाह: विवाह की इच्छा से प्रेरित युवक और युवती द्वारा स्वेच्छा से अभीष्ट वर और वधु का चुनाव कर विवाह करने की प्रथा, प्रजापत्य विवाह कहलाती है,जिसमे परिजन आशीर्वाद स्वरुप कहते है "तुम दोनों मिलकर गृहस्थ आश्रम का पालन करो। "वर्त्तमान समय का प्रेम विवाह इसी का एक उदाहरण कह सकते हैं।

५)आसुर विवाह : वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को यथाशक्ति धन देकर किये जाने वाले धर्मसम्मत विवाह को आसुर विवाह कहते हैं।

६)गांधर्व विवाह : युवक और युवती द्वारा स्वैच्छा से प्रेरित होकर मन ही मन एक दूसरे को जीवनसाथी मानकर जो सम्बन्ध स्थापित होता है ,ऐसे विवाह को गन्धर्व विवाह कहते हैं,उदाहरण:दुष्यंत व शकुंतला का विवाह। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य देशों में जो वैवाहिक परंपरा है वह इसी के अंतर्गत आएगी।

७)राक्षस विवाह : कन्या पक्ष के लोगों को डरा-धमकाकर ,क्षतिग्रस्त करके अथवा उनकी कन्या को प्रताड़ित करके,उसका अपहरण करके जो विवाह किया जाता है ,उसे राक्षस विवाह कहते है।

८)पैशाच विवाह: जब कोई कन्या नींद में सो रही हो ,नशे या उन्माद की अवस्था में हो या अपनी सुरक्षा के प्रति अनजान हो तब यदि कोई उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बना लेता था,उसके बाद जो वैवाहिक परम्परा की जाती थी ,वह पेशाच विवाह कहलाता था। इसे सबसे निकृष्ट श्रेणी का विवाह कहा जाता है।

आरम्भ में जो पाणिग्रहण संस्कार के समय कन्या धन या स्त्रीधन लड़की की सम्पति समझकर स्वेच्छापूर्वक दी जाती थी ,बाद में वर हुए उसके परिवार की तरफ से उसे मांगी जाने लगी और जब यह मांग लालच बनने लगा तब दहेज़ एक कुप्रथा बन गई और जब इस मांग की पूर्ति न होने पर लड़की के विवाह में समस्या आने लगी तब लोगों ने लड़कियों को गर्भ में मारना शुरू कर दिया जिसके कारण भ्रूणहत्या भी समाज और देश के लिए समस्या बन गई जिससे निपटने के लिए सर्कार को कड़े कानून बनाने पड़े। अगर किसी तरह लड़की का जन्म हो गया तो माता -पिता उस बच्ची के जन्म के साथ उसके विवाह के लिए धन व अन्य वस्तुएं इकट्ठा करना शुरू कर देते है।

विवाह के समय वरपक्ष वालों के द्वारा मांग की एक लम्बी लिस्ट बताई जाती है जिसके पुरे होने के बाद ही विवाह कार्य संपन्न होते है और यही मांग शादी के बाद वधु को शारीरिक और मानसिक कष्ट(प्रताड़ना)देकर और अधिक धन व अन्य वस्तुओ को पिता के घर से लाने की मांग में बदल जाती है जिससे की दहेज़ काफी वीभत्स रूप धरण कर लेता है। कन्या द्वारा मांग पूरी कर देने से यह लालच बढ़ती जाती है और अगर मांग पूरी न हो तो कन्या को प्रताड़ित करना शुरू हो जाता है कभी कभी तो दहेजलोभी वधु इस लालच के कारण कन्या की हत्या तक कर देते है।

दहेज़ रुपी राक्षस भारतीय इतिहास के लगभग सभी सम्प्रदायों में प्रत्येक कालखंड में मौजूद रहा है किन्तु समयकालीन भारत में यह अपने निकृष्टतम रूप में पहुँच चूका है। जितना ज्यादा लड़का पढ़ा लिखा होगा,अनुमान लगे जाता है कि उसे उतना ही ज्यादा दहेज़ मिलेगा। आश्चर्य तो तब होता है जब उस लड़के (वर)को मांगनुसार दहेज़ देकर खरीदने वाले का अपनी खरीदी गई वस्तु पर कोई हक़ नहीं होता है। इस प्रकार वर्त्तमान समय में यह एक तरीके से " खून का सौदा "करने का एक साधन बन चूका है। आज़ादी से पूर्व महिलाओं ने और महिला संगठनो ने इन मुददों पर भी अपनी राय दी थी परन्तु उस समय भारत की स्वतंत्रता प्रमुख मुददा था इसलिए अन्य सभी मुददे गौण हो गए। आज़ादी के बाद इस कुप्रथा पर रोक लगाने के उद्देश्य से ही "दहेज़ प्रयतिषेध अधिनियम,1961 "पारित किया गया। जिसके अंतर्गत दहेज़ लेना औरर देना दोनों को ही कानून जुर्म बताया गया ओर ऐसा करने वालों के लिए दंड का भी प्रावधान किया गया।

इस अधिनियम कि धारा- एक में कहा गया कि यह अधिनियम जम्मू -कश्मीर के अलावा भारत के अन्य सभी राज्यों में पूरी तरह लागु होगी। वहीँ धारा -दो में दहेज़ को परिभाषित किया गया है,जिसके अंतर्गत कहा गया है कि विवाह के समय या उससे पूर्व में दोनों पक्षों के बिच मूल्यवान वस्तू -धन के आदान प्रदान दहेज़ के अंतर्गत आएगा। वही धारा -तीन में ऐसा करने वालों के लिए दंड का प्रावधान है जो कि आर्थिक और कारावास के रूप में दिया गया है। धारा -चार में वर्णित है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दहेज़ कि मांग करने से काम से काम ६ माह से लेकर २ साल तक का कारावास और १०००० रूपए का आर्थिक दंड दिया जा सकता है। इस अधिनियम में वर्णित है कि अगर विवाह के ७ वर्ष के भीतर विवाहिता कि अप्रकर्तिक तरीके से मृत्यु हो जाती है तो उस विवाहिता कि सम्पति उसके वारिस को मिलेगी अगर वारिस नहीं है तो उसके माता पिता को वापस दे दी जाएगी। धारा -आठ के अंतर्गत दहेज़ को सन्चेये अपराध माना गया है ,इसमें बाद में संसोधन भी किया गया है। वहीँ धारा -९ और १० में क्रमशः केंद्र व राज्य सर्कार को नियम बनाने और संशोधन सम्बंदि प्रावधान दिए गए हैं। इस अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है।

इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं कि सुरक्षा व दहेज़ को रोकने के लिए एक कानून गतो बना दिया गया जिसका असर समाज पर न के बराबर हुआ। और दहेज़ की वजह से प्रताड़ित और मरने वाली लड़कियों की संख्या लगातार बढाती रही। दहेज़ के बारे में लोगों की आम धारणा है कि यह निजी व पारिवारिक मामला है ,इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। इसी तरह के जब कई मुददे बड़े

स्टार पर सामने आने लगे तो यह १९७० के बाद महिला आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बन गया। नारीवादियों ने विभिन्न उतपीडन के मुददों को समझकर कई निष्कर्ष निकाले-

-विवाह एक निश्चित सामाजिक परम्परा है जिसे न चाहते हुए भी निभाना ही पड़ता है।

-पति को परमेश्वर मानाने कि अवधारणा।

-पति पति के झगड़ों को समाज द्वारा निजी व पारिवारिक मामला मानना।

-अगर विवाहित स्त्री तलाक़ शुदा हो या पति का घर छोड़ अकेली रहे तो 'सामाजिक अक्षूत का कलंक लगना।

-अन्य।

समकालीन नारीवादी आंदोलन में दहेज़ के विरुद्ध प्रारंभिक विरोध हैदराबाद में १९७५ में प्रगतिशील महिला संगठन द्वारा दर्ज कराइ गई। इसके २ वर्ष बाद दिल्ली में दहेज़ के खिलाफ बड़ी संख्या में आंदोलन चले। दिल्ली के 'महिला दक्षता समिति 'और 'स्त्री संघर्ष 'नामक संस्थाओं ने व्यापक स्तर पर दहेज़ विरोधी आंदोलन चलाया ,जिससे यह मुददा घर घर तक पहुंच गया । स्त्री -संघर्ष ने १९७९ के जून में दिल्ली की रहने वाली तरविंदर कौर का मामला उठाया और इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज नारी समिति तथा प्रगतिशील छात्र संगठन ने मिलकर स्त्री -संघर्ष के बैनर टेल मार्च किया,नुक्कड़ नाटक किये। परन्तु पुलिस की सुस्ती के कारण अपराधी साक्ष्य मिटने में सफल हो गए। इससे आहत होकर नारीवादी संगठनो ने सर्कार पर दबाबों बनाने की कोसिस की,कि जल कर मारने वालियों को आत्महत्या नहीं बल्कि दहेज़

-हत्या कि श्रेणी में रखा जाए। इसी तरह के अन्य मामले सामने आये। महिला संगठनो के प्रयासों के फलस्वरूप मारने वाली लड़कियों के परिवारजन खुलकर सामने आये और वर पक्षवालों के खिलाफ विरोध भी करने लगे इसी के साथ दहेज़ कि मांग करने वालों से लड़कियों ने विवाह करने से माना कर दिया। इस तरह कि घटनाओं से नारिवादियों को आगे के आंदोलनों के लिए प्रोत्साहन मिला। १९७८ में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने दहेज़ उत्पीड़न को रोकने व कानून को सख्त बनाने के लिए संसह में विद्येयक लाने कि बात कही परन्तु इसपर असल में कानून १९८४ में ही आ पाया। दिसंबर १९८३ में अपराध कानून में संसोधन करके भारतए दंड संहिता में धारा -४९८-ए जोड़ी गई जिसके अंतर्गत कहा गया कि पत्नी के विरूद्ध अपराध सन्घेये और गैर जमानती है जिसके तहत जुरमाना और आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया। इसके अलावा धारा ११३-ए में भी संशोधन करके शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बारे में कानून बनाया गया और साक्ष्य जुटाने के लिए शिकायतकर्ता कि जिम्मेदारी काम कर दी गई जो कि नारीवादियों कि सफलता को दर्शाता है। इसी तरह के अन्य संसोधन भी किये गए।

परन्तु इतने कानूनी विधान होने के वावजूद भी दहेज़ सबंधी अपराधों में न के बराबर कमी देखने को मिली है जिसका एक प्रमुख कारन सामाजिक मनोदशा है। इसके अतिरिक्त दंड का काम प्रावधान,शिक्षा कि कमी,महिलाओं कि आर्थिक निर्भरता,सामाजिक दशा,लिंगात्मक विभेद आदि कारण हैं। नारीवादी आंदोलन में दहेज़ एवं दहेज़ हिंसा के विरुद्ध चलाये गए आंदोलन में पितृसत्ता विरोधी ,पूंजीवादी विरोधी वाली महिलाओं ने भी भाग लिया। हालाँकि इन आंदोलनों में कई तरह के मतभेद मौजूद थे बाउजूद इसके १९८४ के संसोधन को समकालीन नारीवादी आंदोलन

का सकारात्मक परिणाम कहा जा सकता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि दहेज़ जैसी परम्परा जो कि स्त्रीधन के रूप में शुरू किया गया था वह आगे चलकर वीभत्स रूप धारण कर लेता है जिससे निपटने के लिए ही १९६१ का अधिनियम सरकार द्वारा लाया गया। परन्तु सिर्फ कानूनी भय से ही नहीं बल्कि शिक्षा,समझदारी व महिलाओं कि आर्थिक स्वावलम्बन से इस तरह कि कुप्रथाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि लिंगात्मक विभेद के बिना सभी एक स्वस्थ दिमाग से कोई भी कार्य करें तथा उचित व अनुचित का ध्यान रखते हुए एकात्म -मानववाद कि अवधारणा को अपनाएँ।